रामगढ़ पचवारा में दस इंच बारिश, दौसा जिले में बाढ़ जैसे हालात

तेज बारिश के चलते अधिकांश बांधों में पानी की आवक बनी

- दौसा-गंगापुर रेल मार्ग पर लालसोट टनल के समीप पहाड़ का मलबा गिरने से रेलवे ट्रैक भी प्रभावित हुआ

दौसा, (निसं)। जिले में भारी बारिश के चलते अधिकांश बांधों में पानी की लगातार आवक बनी हुई है। बांधों के भराव क्षेत्र के आसपास रह रहे ग्रामीणों ने अपने मकान खाली कर दिये हैं तथा अपने गांव चले गये हैं। उधर बांध में पानी की लगातार आवक एवं नदी के ऊफान पर होने के कारण नांगल राजावतान से खानवास जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं दूसरी ओर सर्वाधिक वर्षा रामगढ़ पचवारा में करीब दस इंच दर्ज की गई है। लगातार बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गये हैं। सोमवार को भी दौसा जिले में जमकर बरसात हुई, जिसके चलते शहर के निचले क्षेत्र में स्थित अधिकांश कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। बरसात से रेलवे ट्रेक भी प्रभावित हो गया।

दौसा जिल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गये हैं। सोमवार को प्रात: 8 बजे तक लालसोट में करीब सात इंच, रामगढ़ पचवारा में दस इंच, राहुवास में 161 एमएम, निर्झरना में सात इंच, नांगल- राजावतन में सवा पांच इंच, लवाण में सवा पांच इंच और मोरल बांध पर सवा पांच इंच बारिश दर्ज की गई। दौसा–गंगापुर रेल मार्ग पर लालसोट टनल के समीप पहाड़ का मलबा गिरने से रेलवे ट्रैक भी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश होने के कारण अधिकतर एनीकट और बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं।

सीकर में मूसलाधार बारिश से निचले इलाके जलमग्न

सीकर, (निसं)। जिला मुख्यालय पर पिछले एक हफ्ते से रिमझिम बरसात के बाद सोमवार को हुई मूसलाधार बरसात से जहां शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए, वहीं पानी भराव के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में करीब आधा घंटे हुई मूसलाधार बरसात ने प्रशासन के दांवों की पोल खोल कर रख दी।

बरसात का पानी दुकानों और घरों में घुस गया, हालत यह बन गए कि नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड सहित शहर के निचले हिस्से पूरी तरह जलमग्न हो गए। सीकर में पिछले एक सप्ताह से जारी रिमझिम बरसात के बाद सोमवार को अंचल में बादल झूम कर के बरसे। सीकर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई। जहां एक ओर सीकर शहर में बारिश के बाद शहर में अनेक स्थानों पर पानी का भराव हो गया, वहीं खेतों में पानी अमृत बन के बरसा। पलसाना, रानोली क्षेत्र में अच्छी बरसात होने से किसानों ने राहत की सांस ली। वहीं बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्र भी हरियाली से आच्छादित हो चुके हैं। कोट बांध में भी पानी की आवक हुई है। सीकर शहर में बरसात के बाद नवलगढ़ रोड़, लुहारू बस स्टैण्ड, बस डीपो, बजाज रोड़, शिव कॉलोनी सहित मुख्य मार्गों पर पानी का भराव हो गया।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में सामग्री/सेवा हेतु ई–निविदा जारी की गयी है, जिसके यूबीएन GSU2425GLOB00022 है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी http://www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/24/3610 कुलसचिव

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल–कोटा
email : nnksouth@gmail.com, websites : www.urban,rajasthan.gov.in/nnks, Ph.: 0744-2502142

क्रमांक :– ननिको/दक्षिण/निर्माण/2024/116–131 दिनांक :– 08.08.2024

ई–निविदा सूचना संख्या : 07/2024–25

नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) द्वारा विभिन्न अभियान्त्रिकी विभागों "A" एवं "AA" श्रेणी एवं नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से कुल 06 कार्यो हेतु कुल राशि 56.92 लाख रूपये की ऑन लाईन निविदायें दिनांक 12.08.2024 से दिनांक 22.08.2024 तक आमन्त्रित की जाती हैं। टेन्डर बेचे जाने, प्राप्त करने की तिथि व निविदा की शर्ते इत्यादि नगर निगम की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/nnks http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

UBN No. DLB2425WSOB05099
UBN No. DLB2425WSOB05100
UBN No. DLB2425WSOB05101
UBN No. DLB2425WSOB05102
UBN No. DLB2425WSOB05103
UBN No. DLB2425WSOB05104

अधिशाषी अभियन्ता
नगर निगम कोटा दक्षिण

राज.संवाद/सी/24/3590

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति (फल एवं सब्जी) जयपुर

महात्मा ज्योतिबा फूले मुख्य मण्डी प्रांगण ई-मेल kums.jaipurfv@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- 1194 - 1211 दिनांक :- 08/08/2024

ई-निविदा सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर द्वारा मुख्य मण्डी प्रांगण टर्मिनल मार्केट मुहाना में इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु विभिन्न शेष उपकरण एवं प्रयोगशाला सामग्री क्रय की जानी है तथा स्थापित इन्क्यूबेशन सेन्टर को 5 वर्ष के लिये संचालन हेतु इच्छुक संस्था/व्यक्ति को Operation and Management (O&M) आधार पर दिया जाना है। उक्त कार्यो हेतु कार्यालय द्वारा ऑनलाईन निविदा संख्या 10/2024–25 एवं 11/2024–25 आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र व शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in/ www.eproc.rajasthan.gov.in, https://agriculture.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है व www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 08.08.2024 से दिनांक 01.09.2024 सांय 6:00 बजे तक निविदा दरे प्रस्तुत कर भाग लिया जा सकता है।

UBN- Tender-10 (DAM2425GLOB00631)
UBN- Tender-11 (DAM2425WSOB00632)

राज.संवाद/सी/24/3604 सचिव

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, सांभरलेक जिला जयपुर ग्रामीण

क्रमांक :- न.पा.सा./2024/91 दिनांक :- 08/08/2024

ई-निविदा सूचना संख्या 05/2024

नगर पालिका सांभर लेक द्वारा निम्न कार्य कराये जाने हेतु सेवायें में इच्छुक एवं अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूमेन्ट प्रक्रिया हेतु आनलाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म आनलाईन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in डाउनलोड एवं अपलोड व http://sppp.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड किये जा सकते है:–

Particulars	Detail
Unique Bid Number	DLB2425SLOB05377, DLB2425SLOB05378, DLB2425SLOB05380, DLB2425SLOB05381, DLB2425SLOB05379,
Number of Work	05
Estimate Cost of Tender	80.00 लाख
Earnest money (EMD) 2%	1.60 लाख
Cost of tender document (non-refundable) In favor of Municipal Corporation Jaipur Heritage Payable at Jaipur.	निविदा में अंकित कार्य के सम्मुख तालिका अनुसार
RISL Processing Fees (non-refundable) In favor of MD RISL Payable at Jaipur.	निविदा में अंकित कार्य के सम्मुख तालिका अनुसार
Tender Publication on official website http;//eproc.rajasthan.gov.in	10.08.2024
Tender download start date	10.08.2024
Bid Submission start date & Time	13.08.2024
Bid Submission End date & Time	13.08.2024
Technical bid opening date & Time	13.08.2024
Financial bid opening date & Time	Will be Intimated latter to the Technically qualified Bidders

राज.संवाद/सी/24/3615 अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी

गंभीर नदी पर बनी पुलिया ढही, हिण्डौन–गंगापुर मार्ग अवरुद्ध

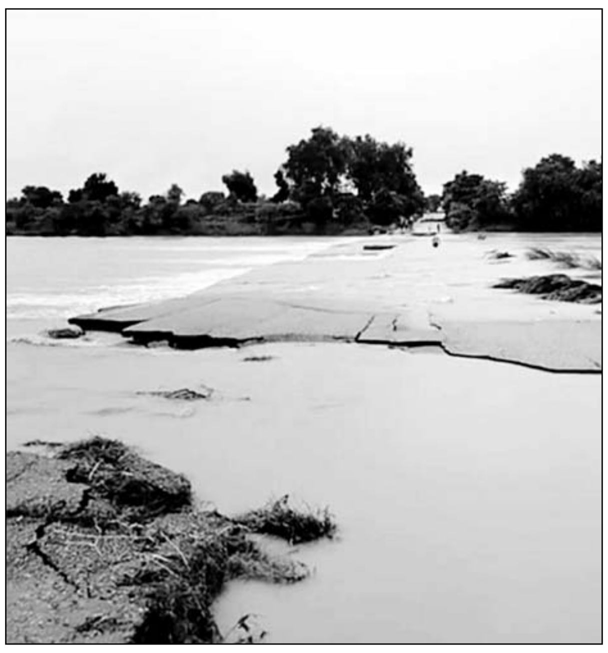

गांव काटकर के समीप स्थित पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

- गंभीर नदी के रास्ते पानी भरतपुर की ओर बढ़ रहा है, रास्ते में बने कई एनीकट भी ढह गये
- पांचना बांध के छह गेट खोलने से नदी में तेज बहाव से पानी की आवक जारी

हिंडौन सिटी, (निसं)। पांचना बांध के सभी छह गेट खुलने के बाद गंभीर नदी में पानी के तेज बहाव के चलते गंगापुर मार्ग पर गांव काटकर के समीप स्थित पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे अब हिण्डौन–गंगापुर मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है।

जानकारी के अनुसार गत तीन दिन से क्षेत्र में चल रहे भारी बारिश के दौर ने शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालातों को बदतर कर दिया है। पांचना बांध में पानी की भारी आवक ने क्षेत्र के लोगों की व प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी जिससे छुटकारा पाने के लिए प्रशासन में तत्काल प्रभाव से निर्णय लेकर पांचना से पानी निकासी के सभी 6 गेट खोल दिए, जिनमें से भारी मात्रा में पानी की निकासी हो रही है। गंभीर नदी के रास्ते यह पानी भरतपुर की ओर बढ़ रहा है, इस बीच रास्ते में बने कई एनीकट भी ढह गये हैं, जिससे पानी का बहाव और तेज हो गया। पानी के इस तेज बहाव ने गंगापुर रोड पर स्थित गांव काटकड़ के समीप सड़क पर बनी पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गत दिनों से छोटे और दोपहिया वाहनों का आवागमन पुलिया पर पानी की चादर चलने के कारण बंद कर रखा था, लेकिन अब पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के बाद इस मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन भी बंद हो गया है, जिससे अब हिंडौन शहर का वजीरपुर और गंगापुर क्षेत्र के गांव से पूरी तरह कट गया है। पानी के तेज बहाव से पुलिया इस तरह क्षतिग्रस्त हुई है कि लगभग 15 फीट के क्षेत्र में सड़क और पुलिया का नामोनिशान ही मिट गया है। अब गंगापुर जाने वाले वाहनों को करौली सपोटरा होते हुए निकाला जा रहा है, जिससे सैकड़ों गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तादी के साथ भारी बारिश से पैदा हो रही इन समस्याओं से निपटने की कोशिश कर रहा है। इधर जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भी अतिवृष्टि से आमजन के सामने पैदा हुई इन समस्याओं का सामना करने में मदद कर रहे हैं।

रील बनाने के चक्कर में नहर में गिरी कार, तीन की मौत

- एक साथ पिता-पुत्र-पोते की हादसे में मौत हो गई

हनुमानगढ़, (कासं)।राजस्थान में लगातार तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे है। कई जिलों में अभी भी बारिश का दौर बना हुआ है। ऐसे में अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिन तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं, हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में रील बनाने के चक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया। जहां पिता, पुत्र व पोते की तलवाड़ा झील मार्ग पर इंदिरा गांधी नहर के पुल से नहर में कार गिरने से मौत हो गई।

इंदिरा गांधी नहर के पुल से सोमवार सुबह करीब 8:00 बजे गिरी कार को चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नहर से निकाला गया। साथ ही नहर से तीनों के शव भी बरामद किए गए हैं। जिनकी पहचान राठीखेड़ा निवासी मरबूब आलम (60) सानिब हुसैन(19) व हसनैन(5) के रूप में हुई है। कार सवार तीनों पिता, पुत्र व पोते के शव को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया जा रहा है। जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया।

Mahila Engineering College, Ajmer

(A constituent college of Bikaner Technical University, Bikaner)
Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer-305002
Website www.gweca.ac.in Ph. No. : 0145-2695534-35
Email : principal@gweca.ac.in Fax No. : 0145-2695102

No. WECA/RHTEQIS/2024/143 Date: 08.08.2024

CONTRACTUAL HIRING (ASSISTANT TEACHING ASSOCIATES)

Applications in prescribed format are invited from interested eligible candidates for contractual hiring on the post of Assistant Teaching Associates in various departments under Rajasthan Higher Technical Education Quality Improvement Scheme (RHTEQIS) on monthly fixed remuneration of INR 28,850/- (Rupees Twenty Eight Thousand Eight Hundred Fifty only).

Artificial Intelligence and Machine Learning (AIML)	Mechanical Engineering	Electrical Engineering	Computer Science &amp; Engineering
02 [UR-01, UR(F)-01]	01 [UR-01]	01 [UR-01]	01 [BC(W)-01]

Total Post: 05*; UR-Unreserved, BC-Backward Class, SC- Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribe, W-Widow, F-Female.

Reservation applicable as per DOP, Govt. of Raj. Order No त-7(2)-कार्मिक/क-2/19 दिनांक 24/02/2020. These contractual hiring shall be made on merit basis and in accordance with order of the Department of Technical Education, Govt. of Rajasthan order No. F.11(4)/T.E./2001/Part Vo-1, Jaipur dated 03.05.2023 for a period of ONE YEAR (extendable on satisfactory performance) or till termination of the Scheme, whichever is earlier. Qualifications and experience for these posts will be as per norms of AICTE applicable for Teaching Posts as on date.

Candidate will have to submit application in prescribed format with the following documents. Those who have applied for the earlier advertisement need to apply again.

DD in favour of Principal, Govt. Mahila Engineering College, Ajmer, payable at Ajmer for INR 200/- (Two Hundred only) towards application fee (non refundable); Self-attested photo copies of Educational qualifications (mark sheets &amp; degree/certificates); GATE Score Card; valid Caste Certificate; Experience Certificates; document related to conversion of CGPA into percentage.

Age Limit: Minimum-21 years and Maximum up to 40 years. Relaxation as per DOP order No. F.17(4)DOP/A-2/2014 dated 11.01.2022. Last date for submitting hard copy of application by registered/speed post is **28.08.2024, 04.00 PM.** College will not be held responsible for any postal delay and application received late or by hand will be rejected.

Application form and other related details are available on www.gweca.ac.in. Candidates are advised to keep visiting college website for any updated information.

PRINCIPAL

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड CIN No: U40109RJ2000SGC016486
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड CIN No: U40109RJ2000SGC016482
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड CIN No: U40109RJ2000SGC016483

वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु:–

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए अपने आदेश दिनांक 26.07.2024 के द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। नया आदेश, दिनांक 01.08.2024 से प्रभावी होगा। विस्तृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश निगमों की वेबसाईट https://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, https://energy.rajasthan.gov.in/avvnl, https://energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl एवं माननीय आरईआरसी की वेबसाईट https://rerc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

- माननीय आयोग ने माना है कि वर्तमान टैरिफ संरचना लागत–प्रतिबिंबित (cost-reflective) नहीं है क्योंकि स्थाई शुल्क से राजस्व, डिस्कॉम्स द्वारा निर्धारित निश्चित लागत के अनुरूप नहीं है और इस प्रकार, अनफंडेड अंतर और इस तथ्य को देखते हुए कि माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग आदेश दिनांक 06.02.2020 के बाद से कोई भी टैरिफ वृद्धि नहीं हुई थी, माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कृषि श्रेणी को छोड़कर सभी उपभोक्ता श्रेणियों पर मौजूदा निर्धारित शुल्क को सांकेतिक संशोधित अनुमोदित किया है।
- 50 यूनिट/माह तक की खपत वाले बीपीएल/आस्था कार्ड धारकों और छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के स्लैब को मिलाकर एक स्लैब बनाया गया है।
- वित्त वर्ष 2022–23 की चौथी तिमाही के लिए ईंधन अधिभार (@1.33 रूपये/यूनिट) की वसूली और वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के लिए ईंधन अधिभार (0.90 रूपये/यूनिट) की वसूली वित्त वर्ष 2024–25 के लिए टैरिफ आदेश में अनुमोदित किया गया है।
- डिस्कॉम्स से ग्रीन पावर का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं से हरित बिजली शुल्क (Green power tariff) 0.21 रू./यूनिट , जो कि टैरिफ आदेश के अनुसार संबंधित श्रेणी के सामान्य टैरिफ से अधिक (over and above) है, लगाया जाएगा।
- यदि सौर ऊर्जा और डिस्कॉम के ड्रॉवल दोनों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त लोड फैक्टर 50 प्रतिशत या अधिक है और डिस्कॉम के ड्रॉवल का लोड फैक्टर न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक है। ऐसे मामलों में डिस्कॉम से ली गई ऊर्जा को 1 एमवीए या अधिक बिलिंग मांग और 50 प्रतिशत या अधिक फैक्टर वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ पर बिल किया जाएगा।
- पॉलीहाउसों को आपूर्ति कोड विनियमों के अनुसार उनके वोल्टेज स्तर के आधार पर एचटी/ एलटी टैरिफ अनुसूची के तहत मिश्रित भार श्रेणी के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- नवीन औद्योगिक छूट कनेक्शन दिनांक से स्वतः जारी हो जायेगी। तथा उपखण्ड अधिकारी से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- वृद्धिशील छूट उन कनेक्शनों पर लागू नहीं होगी, जो सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित हैं।
- माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त मांग अधिभार (बिना छूट या अधिभार पर विचार किए) टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट सकल ऊर्जा और स्थाई शुल्क पर लगाया जावेगा
- ट्राईवेक्टर मीटर (टीवीएम) वाले 18.65 किलोवाट से अधिक कनेक्टेड लोड वाले एलटी उपभोक्ताओं और स्मार्ट मीटर वाले अन्य एलटी ईवी उपभोक्ताओं के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए टीओडी टैरिफ जारी रहेगी।
- माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टीओडी टैरिफ संशोधित की है। उपरोक्त में सुबह 6:00 AM – 08:00 AM में ऊर्जा शुल्क पर 5% अधिभार एवं सांय 6:00 PM – 10:00 PM .बजे तक ऊर्जा शुल्क पर 10% अधिभार लागू होगा। साथ ही दोपहर 12:00 PM – 04:00 PM बजे तक ऊर्जा शुल्क पर 10% छूट लागू होगी। यह संशोधित टीओडी टैरिफ, एमआईपी (एचटी), एनडीएस (एचटी), एलआईपी (एचटी) और ईवी चार्जिंग स्टेशन उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

वर्ष 2024–25 के लिये अनुमोदित टैरिफ

घरेलू श्रेणी (एल.टी–1 एवं एच.टी–1)
(बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघू घरेलू उपभोक्ता किसी बिलिंग चक्र में 50 यूनिट प्रतिमाह)

बीपीएल और लघू घरेलू

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
बीपीएल और आस्था कार्ड धारक *					
(i) 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	3.50 रू प्रति यूनिट	100 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
लघु घरेलू *					
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	3.85 रू प्रति यूनिट	125 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह			

* नोट : बीपीएल और आस्था कार्ड धारक की घरेलू टैरिफ एकल उपभोक्ता पर ही लागू होगी और यह किसी संस्था पर लागू नहीं होगी। यदि बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघु घरेलू उपभोक्ता किसी बिलिंग चक्र में 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर उपभोग करते है तो उपभोक्ता पर घरेलू श्रेणी एलटी–1 के अन्तर्गत अतिरिक्त यूनिटों के उपभोग पर सम्बन्धित स्लैब लागू होगी।

सामान्य घरेलू–1

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
सामान्य घरेलू–1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग)			सामान्य घरेलू–1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	230 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	250 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट	

सामान्य घरेलू–2

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
सामान्य घरेलू–2 (150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)			सामान्य घरेलू–2 (150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	275 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रू प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रू प्रति यूनिट	

सामान्य घरेलू–3

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
सामान्य घरेलू–3 (300 यूनिट से ऊपर 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)			सामान्य घरेलू–3 (300 यूनिट से ऊपर 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	345 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	400 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रू प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रू प्रति यूनिट	
(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रू प्रति यूनिट		(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रू प्रति यूनिट	

सामान्य घरेलू–4

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
सामान्य घरेलू–4 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)			सामान्य घरेलू–4 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	400 रू प्रति कनेक्शन प्रति माह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	450 रू प्रति कनेक्शन प्रति माह
(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रू प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रू प्रति यूनिट	
(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रू प्रति यूनिट		(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रू प्रति यूनिट	
(v) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.95 रू प्रति यूनिट		(v) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.95 रू प्रति यूनिट	

घरेलू श्रेणी (एच.टी–1)

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
एच.टी घरेलू (एच.टी–1)			एच.टी घरेलू (एच.टी–1)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
50 के.वी.ए. से ऊपर की संविदा स्वीकृत मांग	7.15 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 250 रू प्रति के.वी.ए.	50 के.वी.ए. से ऊपर की संविदा स्वीकृत मांग	7.15 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 275 रू प्रति के.वी.ए.

अघरेलू श्रेणी (एल.टी–2 एवं एच.टी.–2)
अघरेलू 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बंद्व भार
(अघरेलू टाईप–1)

अघरेलू श्रेणी			अघरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2)			एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2)		
100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–1)			100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–1)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	330 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

(अघरेलू टाईप–2)

अघरेलू श्रेणी			अघरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2)			एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2)		
100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–2)			100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–2)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	330 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	

(अघरेलू टाईप–3)

अघरेलू श्रेणी			अघरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ		अनुमोदित टैरिफ
एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2)			एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2)		
200 यूनिट से ऊपर 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–3)			200 यूनिट से ऊपर 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–3)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	380 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	420 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	
200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.85 रू प्रति यूनिट		200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.85 रू प्रति यूनिट	

(अघरेलू टाईप–4)

अघरेलू श्रेणी			अघरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2)			एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2)		
500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग (टाईप–4)			500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग (टाईप–4)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	460 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	500 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	
200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.85 रू प्रति यूनिट		200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.85 रू प्रति यूनिट	
500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.95 रू प्रति यूनिट		500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.95 रू प्रति यूनिट	

अघरेलू – 5 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत संबद्ध भार,

अघरेलू श्रेणी			अघरेलू श्रेणी		
विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
अघरेलू 5 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत संबद्ध भार (एल.टी–2)			अघरेलू 5 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत संबद्ध भार (एल.टी–2)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्ध भार का 135 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह	100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्ध भार का 150 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	
200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.85 रू प्रति यूनिट		200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.85 रू प्रति यूनिट	
500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.95 रू प्रतियूनिट	स्वीकृत सम्बद्ध भार का 150 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 270 रू प्रति के.वी.ए. (यदि स्वीकृत सम्बद्ध भार18.65 किलोवाट से अधिक है तो)	500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.95 रू प्रतियूनिट	स्वीकृत सम्बद्ध भार का 165 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 300 रू प्रति के.वी.ए. (यदि स्वीकृत सम्बद्ध भार18.65 किलोवाट से अधिक है तो)

अघरेलू 50 के.वी.ए. से ऊपर संविदा मांग

एच.टी - अघरेलू (एच.टी -2)	मौजूदा टैरिफ		एच.टी - अघरेलू (एच.टी -2)	अनुमोदित टैरिफ	
50 के.वी.ए. से ऊपर संविदा मांग	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	50 के.वी.ए. से ऊपर संविदा मांग	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
सम्पूर्ण यूनिट	8.85 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	सम्पूर्ण यूनिट	8.85 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 300 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

पी.एस.एल श्रेणी (एल टी–3)

विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
पी.एस.एल	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	पी.एस.एल	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
1 लाख से कम जनसंख्या	7.55 रू प्रति यूनिट	115 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह (अधिकतम 1150 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)	1 लाख से कम जनसंख्या	7.55 रू प्रति यूनिट	130 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह (अधिकतम 1300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)
1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या	8.10 रू प्रति यूनिट	145 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह (अधिकतम 2835 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)	1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या	8.10 रू प्रति यूनिट	160 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह (अधिकतम 3120 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)

कृषि मीटर्ड श्रेणी (मीटर्ड और फ्लेट रेट) (एल टी–4)

विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
मीटर्ड (एजी/एमएस(एल टी–4)			मीटर्ड (एजी/एमएस(एल टी–4)		
कृषि सप्लाई	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	कृषि सप्लाई	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	5.55 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	5.55 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	7.10 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	7.10 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
फ्लेट / अमीटर्ड (एजी/ एफआर(एल टी–4)			फ्लेट / अमीटर्ड (एजी/ एफआर(एल टी–4)		
(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	745 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	745 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	895 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	895 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह

लघु औद्योगिक श्रेणी (एल टी–5)

विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
लघु औद्योगिक सेवा (एल.टी.–5) (18.65 किलोवाट (25 एच.पी) से अधिक भार नहीं,)	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	लघु औद्योगिक सेवा (एल.टी.–5) (18.65 किलोवाट (25 एच.पी) से अधिक भार नहीं,)	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
500 यूनिट तक उपभोग	6 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 80 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	500 यूनिट तक उपभोग	6 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 90 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
500 यूनिट से ऊपर का उपभोग	6.45 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 110 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	500 यूनिट से ऊपर का उपभोग	6.45 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 120 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह

मध्यम औद्योगिक श्रेणी (एल टी–6 और एच टी–3)

विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
मध्यम औद्योगिक सेवा (एल.टी–6)	7 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 115 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 230 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मध्यम औद्योगिक सेवा (एल.टी–6)	7 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 130 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 255 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह
मध्यम औद्योगिक सेवा (एच.टी–3)	7 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 230 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मध्यम औद्योगिक सेवा (एच.टी–3)*	7 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 255 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

*** सभी छूटों पर विचार करने के बाद एचटी–3 के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क 6.30 रू प्रति यूनिट**
मिक्स लोड श्रेणी ब्लक सप्लाई (एल टी–7 और एच टी–4)

विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
मिक्स लोड सेवा (एल.टी–7)	8.05 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 105 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 215 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मिक्स लोड सेवा (एल.टी–7)	8.05 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 115 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 240 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह
मिक्स लोड सेवा (एच.टी–4)	8.05 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 215 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मिक्स लोड सेवा (एच.टी–4)	8.05 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 240 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

वृहद औद्योगिक श्रेणी (एच टी–5)

विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
	ऊर्जा प्रभार (कुल उपभोग पर)	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार (कुल उपभोग पर)	स्थाई प्रभार
(A) स्वीकृत संबद्व भार 150 एच.पी. से अधिक और/ या अधिकतम अनुबंधित/अधिकतम मांग 125 के.वी.ए. से ऊपर	7.30 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	(A) स्वीकृत संबद्व भार 150 एच.पी. से अधिक और/ या अधिकतम अनुबंधित/अधिकतम मांग 125 के.वी.ए. से ऊपर	7.30 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 300 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह
(B) ऐसे उपभोक्ता जिनकी बिलिंग डिमांड 1 एम.वी.ए. अथवा उससे अधिक है और लोड फेक्टर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है	6.30 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	(B) ऐसे उपभोक्ता जिनकी बिलिंग डिमांड 1 एम.वी.ए. अथवा उससे अधिक है और लोड फेक्टर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है	6.30 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 300 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

वृहद् औद्योगिक श्रेणी के लिये वोल्टेज वार अनुमोदित टैरिफ*

स्वीकृत सम्बद्व भार 150 एचपी से ऊपर या 125 कवीए से अधिक अनुबंधित / अधिकतम मांग वाले उपभोक्ताओं के लिए वोल्टेज वार *

विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ	
वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
11 केवी	7.300	बिलिंग मांग का 270 रू. प्रति केवीए प्रति माह	11 केवी	7.300	बिलिंग मांग का 300 रू. प्रति केवीए प्रति माह
33 केवी	7.081		33 केवी	7.081	
132 केवी	7.008		132 केवी	7.008	
220 केवी	6.935		220 केवी	6.935	

ऐसे उपभोक्ता जिनकी बिलिंग डिमांड 1 एम.वी.ए. अथवा उससे अधिक है और लोड फेक्टर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वोल्टेज वार* दरें

वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
11 केवी	6.300	बिलिंग मांग का 270 रू. प्रति केवीए प्रति माह	11 केवी	6.300	बिलिंग मांग का 300 रू. प्रति केवीए प्रति माह
33 केवी	6.111		33 केवी	6.111	
132 केवी	6.048		132 केवी	6.048	
220 केवी	5.985		220 केवी	5.985	

*** वृहद औद्योगिक श्रेणी के लिये कोई अन्य वॉल्टेज छूट प्रयोज्य नहीं होगी।**
न्यूनतम ऊर्जा प्रभार'

विशिष्टियाँ	मौजूदा टैरिफ	विशिष्टियाँ	अनुमोदित टैरिफ
वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार
11 केवी	6.00	11 केवी	6.00
33 केवी	5.82	33 केवी	5.82
132 केवी	5.76	132 केवी	5.76
220 केवी	5.70	220 केवी	5.70

*** वृहद औद्योगिक श्रेणी के लिये कोई अन्य वॉल्टेज छूट प्रयोज्य नहीं होगी।**
विद्युत चलित वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशन (एल टी –8 और एच टी –6)

मौजूदा टैरिफ			अनुमोदित टैरिफ		
श्रेणी	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	श्रेणी	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एल टी –8)	6.00 रू. प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 40 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एल टी –8)	6.00 रू. प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 45 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एच टी –6)	6.00 रू. प्रति यूनिट	135 रू. प्रति केवीए प्रति माह	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एच टी –6)	6.00 रू. प्रति यूनिट	150 रू. प्रति केवीए प्रति माह

टीओडी छुट और अधिभार (एनडीएस (एचटी–2), मध्यम उद्योग (एचटी–3), बड़े उद्योग (एचटी–5) और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (एलटी–8 और एचटी–6) पर लागू)

स्लॉट्स	6:00AM to 8:00AM (2 घंटे) ऊर्जा प्रभार पर अधिभार	12:00PM to 4:00PM (4 घंटे) ऊर्जा प्रभार पर छुट	6:00PM to 10:00PM (4 घंटे) ऊर्जा प्रभार पर अधिभार
अनुमोदित टीओडी	5%	10%	10%

ट्रैक्शन लोड (एच टी–7)

मौजूदा टैरिफ			अनुमोदित टैरिफ		
श्रेणी	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	श्रेणी	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
ट्रैक्शन लोड (एच टी–7)	5.70 रू. प्रति यूनिट	135 रू. प्रति केवीए प्रति माह	ट्रैक्शन लोड (एच टी–7)	5.70 रू. प्रति यूनिट	150 रू. प्रति केवीए प्रति माह

अन्य टैरिफ:

(अ) व्हीलिंग शुल्क

वोल्टेज स्तर	मौजूदा टैरिफ(रू./यूनिट)	अनुमोदित टैरिफ(रू./यूनिट)
132 KV	0.01	0.01
33 KV	0.15	0.13
11 KV	0.79	0.74

(ब) क्रॉस सब्सिडी प्रभार

ओपन एक्सेस उपभोक्ता श्रेणी	वोल्टेज	मौजूदा टैरिफ (रू./यूनिट)	अनुमोदित क्रॉस सब्सिडी प्रभार (रू./यूनिट)
अघरेलू	11 केवी.	2.23	1.59
	33 केवी.	2.16	1.59
	132 केवी. और उससे ऊपर	2.14	1.59
मिक्स लोड/बल्क सप्लाई	11 केवी.	1.92	1.59
	33 केवी.	1.86	1.59
	132 केवी. और उससे ऊपर	1.84	1.59
वृहद् उद्योग	11 केवी.	1.58	1.59
	33 केवी.	1.67	1.59
	132 केवी. और उससे ऊपर	1.65	1.59

(स) अतिरिक्त सरचार्ज

अतिरिक्त सरचार्ज	मौजूदा टैरिफ(रू./यूनिट)	अनुमोदित (रू./यूनिट)
	0.89	0.53

(द) हरित टैरिफ

हरित टैरिफ (Green Tariff) (रू./यूनिट) सामान्य टैरिफ से ऊपर	0.21 (रू./यूनिट)

नोट :– वर्तमान में वह सभी प्रावधान जो कि इस आदेश में संशोधित नही किये गये है, लागू रहेंगे।

JPR 2871 (2024)
राज.संवाद/सी/24/3662

अधीक्षण अभियंता (रेगूलेशन)
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड